रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 339] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 18, 2018/आश्विन 26, 1940
No. 339] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 18, 2018/ASVINA 26, 1940

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)
(बजट प्रभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अक्तूबर, 2018

(i) 7.74 प्रतिशत (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2028;(ii) 7.81 प्रतिशत (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2029; (iii) 7.88 प्रतिशत (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2030; (iv) 7.95 प्रतिशत (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2031; (v) 8.03 प्रतिशत (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2032; तथा (vi) 8.11प्रतिशत (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2033 का निर्गम।

फा.सं.4(16)-डब्ल्यू एंड एम/2018.—भारत सरकार, दिनांक 17 अक्तूबर, 2018 को(i)7.74 प्रतिशत (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2028;(ii)7.81 प्रतिशत (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2029;(iii)7.88 प्रतिशत (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2030;(iv) 7.95 प्रतिशत (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2031;(v) 8.03 प्रतिशत (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2032; तथा (vi) 8.11 प्रतिशत (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2033 (इसके पश्चात् संक्षिप्त रूप से 'विशेष प्रतिभूति' के रूप में उल्लिखित है) के निर्गम को एतद्द्वारा अधिसूचित करती है।

1. <u>अभिदान के लिए पात्रता और अभिदान की सीमा</u> :-

(i)इसके **अनुबंध** में उल्लिखित केवल सिंडिकेट बैंक (सरकारी क्षेत्र का बैंक) इन विशेष प्रतिभूतियों में अभिदान करने के लिए पात्र होगा तथा प्रतिभूतियों में उसका अभिदान अनुबंध में उसके नाम के सामने दर्शाई गई राशि तक सीमित रहेगा।

(ii) उपर्युक्त अनुबंध में उल्लिखित सिंडिकेट बैंक (सरकारी क्षेत्र का बैंक)के अलावा, किसी अन्य बैंक, कंपनी,कॉरपोरेशन अथवा किसी अन्य निकाय सहित कोई अन्य व्यक्ति इन विशेष प्रतिभूतियों में अभिदान करने के लिए पात्र नहीं होगा।

2. निर्गम मूल्य एवं तारीख:-

(i)विशेष प्रतिभूतियां पात्र बैंक द्वारा किए गए आवेदन में इंगित किए गए अनुसार, सममूल्य राशि पर जारी की जाएंगी।

(ii) विशेष प्रतिभूतियों को जारी करने की तारीख पात्र बैंक से अभिदान राशि की प्राप्ति की तारीख़ होगी ।

3.प्रतिभूति का स्वरूप :-

इन विशेष प्रतिभूतियों को लोक ऋण कार्यालय, भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई में अनुरक्षित निवेशकर्ता बैंक के अनुषंगी आम बही खाते के नामे करके "स्टॉक" के रूप में जारी किया जाएगा।

4.ब्याज एवं चुकौती :-

विशेष प्रतिभूतियां सममूल्य पर प्रत्येक प्रतिभूति के संबंध में इंगित की गई परिपक्वता की तारीख़ को प्रतिदेय होंगी। विशेष प्रतिभूतियों पर ब्याज अर्धवार्षिक अंतराल पर देय होगा,जो प्रतिभूति जारी करने की तारीख से परिकलित होगा। प्रतिभूति पर ब्याज मुंबई स्थित भारतीय रिजर्व बैंक के लोक ऋण कार्यालय में देय होगा।

इन प्रतिभूतियों पर निम्नलिखित ब्याज दर देय होगी :

क्रम संख्या	प्रतिभूति	ब्याज दर	परिपक्वता की तारीख़
1	7.74 (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति,2028	7.74 प्रतिशत	22 अक्तूबर, 2028
2	7.81 (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2029	7.81 प्रतिशत	22 अक्तूबर, 2029
3	7.88 (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2030	7.88 प्रतिशत	22 अक्तूबर, 2030
4	7.95 (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2031	7.95 प्रतिशत	22 अक्तूबर, 2031
5	8.03 (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति,2032	8.03 प्रतिशत	22 अक्तूबर, 2032
6	8.11 (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति,2033	8.11 प्रतिशत	22 अक्तूबर, 2033

ब्याज का भुगतान निकटतम पूर्ण रुपये में पूर्णांकित करने के बाद किया जाएगा। इस प्रयोजनार्थ, पचास पैसे से कम राशि को नजरअंदाज किया जाएगा और पचास और उससे अधिक पैसे को अगले रुपये में पूर्णांकित किया जाएगा।

5. हस्तांतरणीयता एवं परिवर्तन:-

विशेष प्रतिभूति हस्तांतरणीय नहीं होगी तथा इन प्रतिभूतियों को किसी भी अन्य स्वरूप में परिवर्तन करने की भी अनुमति नहीं होगी।

6. सांविधिक प्रावधान:-

जहां तक किसी ऐसे विषय का संबंध है,जिसका इस अधिसूचना के तहत प्रावधान नहीं किया गया है, विशेष प्रतिभूति लोक ऋण अधिनियम,2006 तथा उसके तहत बनाई गई लोक ऋण नियमावली, 2007 द्वारा अभिशासित होगी।

7. कर कानूनों की प्रयोजनीयता:-

विशेष प्रतिभूति में निवेशित राशि तथा उस पर देय ब्याज का मूल्य समय-समय पर यथा प्रयोज्यकर कानूनों के प्रावधानों द्वारा अभिशासित किया जाएगा।

8. विशेष प्रतिभूति में निवेश की पात्रता :-
निवेशकर्ता बैंक द्वारा विशेष प्रतिभूति में किए गए निवेश को एक पात्र निवेश के रूप में नहीं माना जाएगा क्योंकि निवेशकर्ता बैंकों पर लागू किसी सांविधिक प्रावधानों अथवा निदेशों के अनुसरण में निवेशकर्ता बैंक द्वारा ऐसा निवेश सरकारी प्रतिभूतियों में करना अपेक्षित होता है।

9. एचटीएम प्रस्थिति :-
बैंकों द्वारा निवेश पोर्टफोलियो के वर्गीकरण, मूल्यन तथा परिचालन संबंधी विवेकपूर्ण मानदंडों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 01 जुलाई, 2015 के परिपत्र डीबीआर सं.बीपी.बीसी.6/21.04.141/2015-16 के अनुसरण में, विशेष प्रतिभूतियां बिना किसी सीमा के एचटीएम पोर्टफोलियो के तहत धारित की जा सकती हैं।

भारत के राष्ट्रपति के आदेशानुसार
अरविन्द श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

अनुबंध

[संदर्भ फा.सं.4(16)-डब्ल्यू एंड एम/2018 दिनांक 17 अक्तूबर, 2018]

सिंडीकेट बैंक (सरकारी क्षेत्र का बैंक) को (i)7.74 प्रतिशत (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2028; (ii) 7.81 प्रतिशत (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2029; (iii) 7.88 प्रतिशत (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2030; (iv) 7.95 प्रतिशत (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2031; (v) 8.03 प्रतिशत (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2032; तथा (vi) 8.11 प्रतिशत (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2033 प्रतिभूतियों का आबंटन।

क्र.सं.	पात्र बैंक का नाम	परिपक्वता वर्ष						आबंटित राशि (₹ करोड़)
		2028	2029	2030	2031	2032	2033	
1	सिंडीकेट बैंक	123	121	121	121	121	121	728
	कुल	**123**	**121**	**121**	**121**	**121**	**121**	**728**

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(BUDGET DIVISION**)**

NOTIFICATION

New Delhi the, 17th October, 2018

Issue of (i) 7.74 per cent (Non-transferable) Special Gol Security, 2028; (ii) 7.81 per cent (Non- transferable) Special Gol Security 2029; (iii) 7.88 per cent (Non-transferable) Special Gol Security 2030; (iv) 7.95 per cent (Non-transferable) Special Gol Security 2031; (v) 8.03 per cent (Non-transferable) Special Gol Security 2032; and (vi) 8.11 per cent (Non- transferable) Special GoI Security 2033.

F. No. 4(16)-W&M/2018.—Government of India hereby notifies the issue of (i) 7.74 per cent (Non-transferable) Special Gol Security, 2028; (ii) 7.81 per cent (Non- transferable) Special Gol Security 2029; (iii) 7.88 per cent (Non-transferable) Special Gol Security 2030; (iv) 7.95 per cent (Non-transferable) Special Gol Security 2031; (v) 8.03 per cent (Non-transferable) Special Gol Security 2032; and (vi) 8.11 per cent (Non- transferable) Special GoI Security 2033, (hereinafter briefly described as "the Special Security") on October 17, 2018.

1. Eligibility for Subscription and Limit of Subscription:

(i) Syndicate Bank (Public Sector Bank) as referred to in the **Annexure** hereto shall only be eligible to subscribe to the special securities and its subscription to the securities shall be limited to the extent of the amount, as shown in the Annexure.

(ii) No other person, including any bank, company, corporation or any other body except the Syndicate Bank (Public Sector Bank) as referred to in aforesaid Annexure shall be eligible to subscribe to the special securities.

2. Price and Date of Issue:

(i) The special securities will be issued at par for the amount as per the application made by the eligible bank.

(ii) The date of issue of the special securities will be the date of receipt of subscription from the eligible bank.

3. Form of Security:

The special securities will be issued in the form of "Stock" to be held at credit of the investing bank's Subsidiary General Ledger Account maintained with Public Debt Office, Reserve Bank of India, Mumbai.

4. Interest and Repayment:

The special securities shall be repayable at par on the date of maturity as indicated against each security. Interest on the special securities will be payable at half yearly intervals, reckoned from the date of issue of the security. Interest on the security will be payable at Public Debt Office of Reserve Bank of India at Mumbai.

The following rate of interest will be payable on these securities:

S. No.	Security	Rate of Interest	Date of maturity
1.	7.74 (Non-transferrable) Special GoI Security 2028	7.74 per cent	October 22, 2028
2.	7.81 (Non-transferrable) Special GoI Security 2029	7.81 per cent	October 22, 2029
3.	7.88 (Non-transferrable) Special GoI Security 2030	7.88 per cent	October 22, 2030
4.	7.95 (Non-transferrable) Special GoI Security 2031	7.95 per cent	October 22, 2031
5.	8.03 (Non-transferrable) Special GoI Security 2032	8.03 per cent	October 22, 2032
6.	8.11 (Non-transferrable) Special GoI Security 2033	8.11 per cent	October 22, 2033

Interest will be paid after rounding off to the nearest whole rupee. For this purpose, amount of interest less than fifty paise will be ignored and amount of fifty paise and more will be rounded off to the next rupee.

5. Transferability and Conversion:

The special security shall not be transferable and conversion in any other form of security shall not be permitted.

6. Statutory Provisions:

With respect to any such matter which has not been provided under this Notification, the special security shall be governed by the Government Securities Act, 2006 and the Government Securities Rules, 2007 framed there under.

7. Applicability of Tax Laws:

The value of the investment in the special security and the interest payable thereon will be governed by the provisions of tax laws as applicable from time to time.

8. Eligibility of Investment in Special Security:

The investment in the special security by the investing bank would not be considered as an eligible investment which they are required to make in Government securities in pursuance of any statutory provisions or directions applicable to the investing bank.

9. HTM Status:

As per RBI Circular DBR No BP.BC.6 /21.04.141/2015-16 July 1, 2015 on Prudential Norms for Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio by Banks, the special securities can be held under HTM portfolio without any limit.

By Order of the President of India

ARVIND SHRIVASTAVA, Jt. Secy.

Annexure

[Ref F. No. 4(16)-W&M/2018 dated October 17, 2018]

Allocation of Securities to Syndicate Bank (Public Sector Bank), (i) 7.74 per cent (Non-transferable) Special GoI Security, 2028; (ii) 7.81 per cent (Non- transferable) Special GoI Security 2029; (iii) 7.88 per cent (Non-transferable) Special GoI Security 2030; (iv) 7.95 per cent (Non-transferable) Special GoI Security 2031; (v) 8.03 per cent (Non-transferable) Special GoI Security 2032; and (vi) 8.11 per cent (Non-transferable) Special GoI Security 2033.

S. No.	**Name of Eligible Bank**	**Maturing in Year**						**Amount Allocated (₹ crore)**
		2028	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	
1	Syndicate Bank	123	121	121	121	121	121	728
	Total	**123**	**121**	**121**	**121**	**121**	**121**	**728**

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2018.10.18 18:32:38 +05'30'